उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14,सी0एस0पी0सिंह मार्ग
इलाहाबाद

अल्पकालीन निविदा सूचना

केन्द्र द्वारा आमंत्रित कलाकारों को केन्द्र परिसर में/माघ मेला क्षेत्र में भोजन कराने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा अनुभवी ठीकेदार/कैटरर्स से बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्यालय में दिनांक 23.11.2017 को दिन में अपरान्ह 2.00 बजे तक जमा की जा सकती है।

प्राप्त सभी निविदायें उसी दिनांक 23.11.2017 को दिन में 3.00 बजे उपस्थित ठीकेदारों के समक्ष खोले जायेंगे।

सभी निविदायें या किसी एक निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निदेश में निहित होगा। विस्तृत विवरण के लिये देखें केन्द्र की वेबसाइट www,nczccindia.in

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभारी निदेशक

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14,सी0एस0पी0सिंह मार्ग
इलाहाबाद

निविदा प्रपत्र (मूल्य 200/– रु0)

1	भोजन दिये जाने का स्थान	–	केन्द्र परिसर/माघ मेला क्षेत्र
2	कलाकारों की संख्या	–	(न्यूनतम 50 प्रतिदिन)
3	अर्नेस्ट मनी	–	रु0 10,000/– नगद अथवा डी.डी.के रूप में जो निदेशक, उ0म0क्षे0सां0केन्द्र के पंथ में देय होगा। निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
4	निविदा जमा करने की तिथि	–	23.11.2017 को दिन में अपरान्ह 2.00 बजे तक
5	निविदा खोले जाने की तिथि	–	23.11.2017 को दिन में अपरान्ह 3.00 बजे तक

मीनू (Menu)
प्रतिदिन का

क्र0सं0	विवरण	अवधि	खाने का सामान	दर
1	बेड टी	सुबह 7 से 8 बजे तक		
2	नाख्ता	सुबह 9 से 11 बजे तक	5 पूड़ी सब्जी/दही, 2 पराठा/5 ब्रेड बटर/5 ब्रेड जैम के साथ चाय व एक मिठाई	
3	दोपहर का खाना	दोपहर 1 से 3 बजे तक	दाल, एक सूखी सब्जी, एक रसेदार सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, अचार एवं पापड़	
4	शाम की चाय	सायं 5.30 से 7 बजे तक	चाय के साथ 2 समोसा या 2 कटलेट या 2 पकौड़ा या 2 टिक्की तथा एक मिठाई	
5	रात का खाना	रात्रि 8 से 10.30 बजे तक	दाल, एक सूखी सब्जी, एक रसेदार सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, अंचार एवं पापड़	
6	वी.आई.पी.खाना		वी.आई.पी. खाने में एक पनीर की सब्जी+1 मिठाई, दाल फ्राई व दो सूखी सब्जियां तथा बासमती चावल रहेगा।	
7	वी.आई.पी.नाश्ते में		चिप्स, वेज सैडविज, पैटीज व मिठाई अतिरिक्त रहेगी।	
8	काफी			
9	मिनरल वाटर 1 ली0			

नियम एवं शर्तें :–

1. केन्द्र द्वारा जिस फर्म को कार्य का आवंटन किया जायेगा उसे संलग्न मीनू के अनुसार स्वादिष्ट और ताजा खाना कलाकारों को गर्म स्थिति में खिलाना होगा। खाने में प्रयोग की जाने वाली ऑयल उच्च कोटि की होनी चाहिए तथा मसाले ब्रान्डेड होने चाहिए।
2. कार्य स्थल पर केन्द्र द्वारा डायनिंग एरिया के रूप में शामियाना, मैटिंग टेबिल और कुर्सी का प्रबन्ध किया जायेगा परन्तु टेबिल के ऊपर टेबिल क्लाथ या रोल पेपर का प्रबन्ध फर्म को करना होगा।
3. फर्म के द्वारा खाद्य सामग्री, उसके बनाने का व्यय तथा खाना खिलाने के लिए आवश्यक क्रॉकरी का प्रबन्ध करना होगा।
4. फर्म के द्वारा कलाकारों को अच्छी क्रॉकरी में खाना खिलाना होगा तथा किचेन एवं डायनिंग हाल में उच्च कोटि की सफाई सुनिश्चित करना होगा।
5. फर्म के द्वारा उपरोक्त प्रोफार्मा में सभी व्यय को सम्मिलित करते हुए दर भरे जायें दरों के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य व्यय का भुगतान केन्द्र द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. खाने के साथ फर्म के द्वारा टेबिल पर मिनरल वाटर (जार में) का प्रबन्ध करना होगा। फिल्टर वाटर के साथ डिस्पोजबिल ग्लास का प्रबन्ध फर्म को करना होगा।
7. फर्म के द्वारा टैक्स (यदि कोई हो तो) का स्पष्ट उललेख करना होगा।
8. खाने की दर प्रति व्यक्ति भरपेट भोजन के लिये होगी।
9. केन्द्र द्वारा आवंटित फर्म को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. खाने की गुणवत्ता और सफाई का विशेष ध्यान फर्म को रखना होगा। खाने की क्वालिटी उचित न पाये जाने पर आवंटन तत्काल निरस्त करके किसी अन्य पार्टी को कार्य का आवंटन कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी अर्नेस्ट धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. फर्म को कार्य आवंटन के पश्चात रु0 10,000/- का डी0डी0 जो निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा जमानत के रूप में जमा करना होगा।

घोषणा

मैं/हम ....पुत्र .... घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त प्रपत्र के साथ नियम और शर्तें भली-भांति पढ़ और समझ लिया है/लिये हैं। उसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा प्रपत्र में दरें भरी गयी हैं। मैं/हम इसके पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पिता का नाम ....

निवासी ....

....

....

मो0नं0 ....